

विश्व उपभोक्ता दिवस पर निबंध

इस पॉइन्ट के जरिए हम आपको विश्व उपभोक्ता दिवस पर निबंध कैसे लिख इसके बारे में बताएंगे। हर विषय पर निबंध अगल तरह से लिखा जाता है ठीक उसकी तरह विश्व उपभोक्ता दिवस पर निबंध अलग तरह से लिखा जाएगा, जो कि इस प्रकार है-

प्रस्तावना

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन अमेरिकी कांग्रेस में बोलते हुए 15 मार्च 1962 को उपभोक्ता अधिकारों पर जॉन एफ कैनेडी (पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति) द्वारा दिए गए भाषण से प्रेरित था। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल के एक कार्यकर्ता अनवर फ़ज़ल ने बाद में इस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में प्रस्तावित किया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आम जनता के उपभोक्ता अधिकारों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने का दिन है। इसके अलावा, यह एक उपभोक्ता के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की एक आवश्यक अभिव्यक्ति है, क्योंकि वे सकारात्मक कदम उठाते हैं जो सभी को प्रभावित करते हैं।

विश्व उपभोक्ता दिवस का इतिहास

कंज्यूमर्स इंटरनेशनल की स्थापना 1960 में अंतर्राष्ट्रीय निगमों के प्रभुत्व वाले वैश्विक बाजार में उपभोक्ताओं के लिए एक निष्पक्ष, सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य के लिए लड़ने के लक्ष्य के साथ की गई थी। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण भाषण का हवाला देते हुए, वे उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा को अपनी परिभाषा के रूप में लेते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति की टिप्पणी ने ऐसे अधिकार जो कुछ लागू करने योग्य होंगे उनको कागज पर केवल शब्दों से कुछ अधिक बनाने के लिए गेंद को गति प्रदान की थी, लेकिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत 1983 में नागरिक कार्रवाई को गति देने के लिए हुई थी।

सिटीजन एक्शन गुप्स मार्केटप्लेस में बदलाव लाने का एक बड़ा हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सुरक्षित उत्पादों और हानिकारक प्रथाओं और उत्पादों से सुरक्षा के लिए पैरवी की है। समय के साथ, उपभोक्ता आंदोलन ने कई ऐसे अधिकारों को जन्म देने का काम किया है जिसे अब 8 बुनियादी उपभोक्ता अधिकारों के रूप में माना जाता है। इन अधिकारों में सुरक्षा का अधिकार, बुनियादी जरूरतों की संतुष्टि का अधिकार, निवारण का अधिकार और सूचना पाने का अधिकार जैसे विचार शामिल हैं।

कंज्यूमर्स इंटरनेशनल के 200 से अधिक सदस्य हैं और यह 100 देशों में फैला हुआ है। वे नीति-निर्माण मंचों और वैश्विक बाजार में उपभोक्ताओं के लिए एक आवाज़ और चैंपियन बनने के अपने मिशन को अपनाते हैं। वे किसी भी राजनीतिक दल के बाहर काम करते हैं और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उपभोक्ताओं के साथ उचित व्यवहार किया जा सके।

विश्व उपभोक्ता दिवस का महत्व

जब अनुचित व्यापार प्रथाएं और लालची कंपनियां उपभोक्ताओं का शोषण करती हैं, तो जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस एक बहुत ही आवश्यक दिन है। यह हमें तेज और स्मार्ट उपभोक्ता बनने के

उपकरण देता है। दुनिया में हर कोई उपभोक्ता है, यहां तक कि वे लोग भी जो उन कंपनियों के मालिक हैं जिनसे हम खरीदते हैं। इसलिए, यह सभी के लिए उपभोक्ताओं के रूप में अपने अधिकारों के बारे में अधिक जानने का एक दिन है। यदि दुनिया के सभी लोग एक साथ कार्य करते हैं और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं, तो उपभोक्ता अधिकारों की बात आने पर दुनिया बेहतर हो जाएगी।

भारत में उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं?

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले, भारत में उपभोक्ता अधिकारों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत संरक्षित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार, उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा 'किसी वस्तु या सेवा के विभिन्न पहलुओं जैसे उसकी गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, कीमत और मानक के बारे में जानकारी रखने का अधिकार है।' उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, सांसदों ने छह बुनियादी उपभोक्ता अधिकारों को परिभाषित किया था:

Right To Safety:

सुरक्षा का अधिकार: उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं और सेवाओं के विपणन से सुरक्षित किया जाता है जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक हैं। यह वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता पर जोर देता है।

Right to be informed:

सूचना पाने का अधिकार: उपभोक्ताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, सामग्री, शुद्धता, नियामक मानकों और कीमतों के बारे में सूचित करने का अधिकार है और ऐसी कोई भी जानकारी जानबूझकर उनसे नहीं छिपाई जानी चाहिए।

Right to choose:

चुनने का अधिकार: जब भी संभव हो, उपभोक्ताओं को विभिन्न कीमतों पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए।

Right to be heard:

सुने जाने का अधिकार: उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्हें संगठन बनाने का अधिकार है जो सभी संबंधित मामलों में उनका प्रतिनिधित्व करेगा।

Right to seek redressal:

निवारण प्राप्त करने का अधिकार: उपभोक्ताओं को अनुचित व्यवहारों और शोषण के विरुद्ध निवारण प्राप्त करने का अधिकार है।

Right to consumer education:

उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार: उपभोक्ताओं को सूचित उपभोक्ता बनने के लिए ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है।

ये अधिकार भारत में उपभोक्ता संरक्षण के आधार हैं। इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने पांच नए उपभोक्ता अधिकार पेश किए थे:

- शिकायत कहीं से भी दर्ज करने का अधिकार
- उत्पाद दायित्व के मद्देनजर मुआवजा मांगने का अधिकार
- उपभोक्ताओं की सुरक्षा का अधिकार
- वीडियो कांफ्रेंसिंग का उपयोग कर सुनवाई का अधिकार
- यह जानने का अधिकार कि शिकायत क्यों खारिज की गई

भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2020 क्या है ?

भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ और 1986 के पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया। इस अधिनियम के कुछ आवश्यक विवरण इस प्रकार हैं:

- इस अधिनियम ने ग्राहक विवादों और प्रशासन को निपटाने के तरीके को बदल दिया है।
- इसके अलावा, यह अधिनियम खाद्य पदार्थों में मिलावट और विक्रेताओं द्वारा किए गए किसी भी भ्रामक विज्ञापनों के लिए सख्त जेल की सजा को लागू करता है।
- अन्य बातों के अलावा, यह अधिनियम उपभोक्ता के अधिकारों को एक पूरे वर्ग के रूप में बढ़ावा देने और लागू करने के लिए एक सीसीपीए (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण) की स्थापना का भी प्रस्ताव करता है।
- CCPA ग्राहकों को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए भी हस्तक्षेप कर सकता है।
- इसके अलावा, यह निकाय रिकॉल, उत्पादों की वापसी और रिफंड की मांग को लागू कर सकता है।
- उपभोक्ता सीसीपीए के पास भी शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्हें अपने केस के लिए वकील रखने की जरूरत नहीं है।

उपसंहार

उपभोक्ता अधिकारों और जरूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं का दिन हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में चिह्नित करता है। यह दिवस मनाना यह मांग करने का एक अवसर है कि सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान किया जाए और उनकी रक्षा की जाए, और बाजार के दुरुपयोग और उन अधिकारों को कमजोर करने वाले सामाजिक अन्याय के खिलाफ विरोध किया जाए। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 2019 के बाद से प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है।